

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1996 | प्रावण 16, 1918 |

तमय 10.30 बजे दिन

I- प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित तूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे,

2- अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

III मध्यपृष्ठदेश अम कल्याण निधि | तंत्रीधन | अध्यादेश, 1996

। क्रमांक । सन् 1996।, तथा

१२। मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय | संशीधन। अध्यादेश, १९९६

॥क्रमांक २ सन् १९९६।

3- पत्रों का पटल पर रखा जाना

111 श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 तब 1995) की धारा 28 की उपधारा 131 की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-16-95-वि.क.-पांच 1121, दिनांक 27 मार्च, 1996 पटल पर रखेंगे।

121 श्री चरणदास महन्त, गृह मंत्री, कम्पनीज स्टट, 1956 की धारा 619-की उपधारा 131। ख। की अपेक्षानुतार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन स्वं लेखा वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे।

131 श्री प्रताप सिंह बधेल, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा 141 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1993-94 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रहेंगे।

१४। श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन.

१८। खान एवं छन्दिज । विनियमन एवं विकास। अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा ३१ की अपेक्षानुसार छन्दिज साधन विभाग की अधिकृति क्रमांक एफ-१९-४९-९६-बारह-२, दिनांक २२ जून, १९९६, तथा

1। अधीनीज सक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा 131(ख) की अधेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड," भीष्मपाल का सत्ताईसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेगी।

4- फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

5- नियम 267-के अधीन फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

6- प्रतिवेदन की प्रस्तुति स्वं स्वीकृति।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि —
“सदन कार्यमंत्रा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।”

7- राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना।

8- नियम 138 ।।। के अधीन ध्यान आकर्षण।

।।। सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. ढालिंह बिसेन, सदस्य, होशंगाबाद स्वं नरसिंहपुर जिले में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

।।। श्री अस्ता वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के अंजोरा तथा घंगोरी उद्वहन सिंचाई योजनाओं से किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री जल संसाधन। का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9- सभापति तालिका की घोषणा।

10- वक्तव्य

।।। श्री चनेश राम राठिया, राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व दिनांक 15 फरवरी, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 47 क्रमांक 1353। के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

।।। श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, दिनांक 15 मार्च, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 89 क्र. 46।।। के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

:: ३ ::

II- शासकीय विधि विषयक कार्य.

11। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश मान्यस्थम् अधिकरण [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 9 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

12। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश तिविल न्यायालय [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 10 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

13। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, 1996 [क्रमांक 11 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

14। डॉ. विजय लक्ष्मी ताथो, संस्कृति मंत्री, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 13 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी।

15। श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री [राजस्व], मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 14 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

16। श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री, आवास, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 16 सन् 1996] के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

17। श्री शिव नेताम, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण [संशोधन] विधेयक, 1996 [क्रमांक 15 सन् 1996] का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भौपालः
दिनांक 6 अगस्त, 1996

अशोक चतुर्वेदी
तचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।